एएफआर

# छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (एस) क्रमांक–83/2016

महेंद्र कुमार साहू, आत्मज–श्री के.आर. साहू, उम्र लगभग 53 वर्ष, पूर्व प्रधान आरक्षक (रेडियो), जगदलपुर, निवासी–जैन मंदिर के पास, डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

--------------- अपीलार्थी

**विरुद्ध**

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, गृह विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)
2. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय, रायपुर (छ.ग.)
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (रेडियो), छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय, रायपुर (छ.ग.)
4. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (रेडियो), पुलिस मुख्यालय, रायपुर (छ.ग.)
5. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग (छ.ग.)

-------------उत्तरवादीगण

---

अपीलार्थी द्वारा श्री गौतम खेत्रपाल अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण द्वारा श्री रवि कुमार भगत, उप शासकीय अधिवक्ता।

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल**

**बोर्ड पर आदेश**

04/01/2022

1–यह पक्षकारों के बीच अभियोग का दूसरा दौर है जैसा कि डब्ल्यू. पी.(एस) क्रमांक–2219/2005 में आदेश दिनांक 12–2–2015 के द्वारा इस न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक (रेडियो), भिलाई को याचिकाकर्ता के मामले पर छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन के विनियमन 241 के संदर्भ में विचार करने का निर्देश इस आधार पर दिया गया था कि सक्षम अधिकारिता वाले दांडिक

न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को सभी आपराधिक आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है। विचार के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिनांक 13-04-2015 के द्वारा उसके दावे को खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध उसने अपील प्रस्तुत किया था और आक्षेपित आदेश दिनांक-09.12.2015, अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा उसके द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया था, जिसे इस रिट याचिका में प्रश्नगत किया गया है।

2-याचिकाकर्ता आरक्षक के पद पर नियुक्त था तथा जगदलपुर में पदस्थ था। दिनांक-01.12.1994 को याचिकाकर्ता की पत्नी ने आत्महत्या कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 एवं 498क के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा उस मामले में क्षेत्राधिकार वाली दांडिक न्यायालय के समक्ष उसके विरुद्ध अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया। इसी दौरान, दिनांक 26-04-1994 को उत्तरवादी अर्थात् तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य ने अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ किया तथा याचिकाकर्ता को मध्यप्रदेश पुलिस विनियमों के विनियम 64(11) के उल्लंघन के लिए आरोप-पत्र दिया गया, जिसका उसने जवाब प्रस्तुत किया तथा अंततः जांच पूर्ण होने के पश्चात उसे दिनांक 28-02-1995 के आदेश द्वारा पदच्युत कर दिया गया, जिसके विरुद्ध उसने अपील प्रस्तुत किया था, किन्तु अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 01-06-1995 के आदेश द्वारा अपील को भी खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध उसने दया याचिका प्रस्तुत किया था, किन्तु सक्षम प्राधिकारी ने उसे विचारण न्यायालय के निर्णय के पश्चात दया याचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया तथा दिनांक 18-06-1996

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के आदेश द्वारा दया याचिका का निराकरण कर दिया गया। अंतत : याचिकाकर्ता को दिनांक 28–05–1997 को आपराधिक आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया और उसके बाद उसने दिनांक–09.06.1997 को पुलिस महानिदेशक के समक्ष अपनी दया याचिका पुनः प्रस्तुत किया जिसे दिनांक–06.09.1997 को खारिज कर दिया गया। (दोषमुक्ति किए जाने के आदेश के विरुद्ध राज्य द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपील क्रमांक–2096/1997 को इस न्यायालय द्वारा दिनांक–15.01.2014 को खारिज कर दिया गया था)। दया याचिका खारिज करने के संबंध में पारित आदेश दिनांक–06.09.1997 का याचिकाकर्ता द्वारा डब्ल्यू.पी.एस. क्रमांक–2219/2005 प्रस्तुत कर आपत्ति किया गया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12–02–2015 के आदेश द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी, जिसमें संबंधित पुलिस अधीक्षक को छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन के विनियमन 241 के प्रकाश में याचिकाकर्ता की बहाली के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, किंतु दिनांक 13–04–2015 के आदेश द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करने के संबंध में पारित आदेश दिनांक 07–04–1995 को यथावत् रखते हुए अभ्यावेदन को खारिज कर दिया है। पुलिस सेवा से दिनांक 13–4–2015 के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किया था, जिसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा दिनांक 09–12–2015 को खारिज कर दिया गया है जिसके विरुद्ध यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

3–रिट याचिका में किए गए कथनों का खंडन करते हुए जवाब दाखिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि दिनांक 13–4–2015

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के आदेश और अनुशासनिक प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–12–2015 में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है।

4–याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम खेत्रपाल ने निवेदन किया कि विभागीय जांच और आपराधिक कार्यवाही दोनों ही समान तथ्यों पर आधारित थी, इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन के विनियमन 241 के प्रकाश में, अधिकार के रूप में याचिकाकर्ता दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी है और दोनों अधिकारियों का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

5–राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान उप शासकीय अभिभाषक श्री रवि कुमार भगत ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन के विनियमन 64(11) के उल्लंघन के लिए विभागीय जांच किया गया था, जबकि आपराधिक मामले में, उस पर भा.द.सं. की धारा 306 और 498क के अंतर्गत् अपराध का आरोप लगाया गया था, इसलिए, यह बिल्कुल अलग तथ्यों पर आधारित था, न तो समान और न ही एकरूप, इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन के विनियमन 241 को दोनों अधिकारियों द्वारा सही रूप से लागू किया गया है और इस तरह, याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6–मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क श्रवण कर विचार किया तथा अभिलेखों का भी सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन किया।

7–अभियोग के प्रथम दौर में दया याचिका पर पुलिस महानिदेशक के आदेश दिनांक 06–09–1997 को अपास्त कर दिया गया था तथा

मामले को छत्तीसगढ़ पुलिस विनियम के विनियम 241 के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को भेज दिया गया था, क्योंकि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 306 एवं 498क के अंतर्गत् आरोपों से दोषमुक्त किया जा चुका था।

8—इस प्रकरण पर विचार करने के लिए कि, क्या याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ पुलिस विनियम के विनियम 241 के लाभ के लिए पात्र है, उक्त विनियम के विनियम 241 पर विचार किया जाना उचित होगा, जिसमें निम्नानुसार कहा गया हैः—

> ‘‘241. दोषमुक्ति के मामले जब किसी पुलिस अधिकारी पर आपराधिक न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाता है और उसे दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो उसे नियमानुसार पुनः दोषमुक्त किया जाना चाहिए। उसे विभागीय रूप से दंडित नहीं किया जा सकता है, जब वह अपराध जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया गया था, दंड का एकमात्र आधार बनता है। तथापि, यदि दोषमुक्ति, चाहे मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में हो या अपील के न्यायालय में, तकनीकी आधार पर आधारित थी या यदि मुकदमे में स्थापित तथ्य दर्शाते हैं कि सरकारी सेवा में उसका बने रहना अवांछनीय है, तो पुलिस अधीक्षक महानिरीक्षक की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात उसके आचरण का विभागीय संज्ञान ले सकता है।

9—छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन के विनियमन 241 का सूक्ष्मतापूर्ववक परिशीलन करने पर यह पता चलता है कि यह पुलिस बल पर लागू

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नियम का अपवाद है, जिसमें यह प्रावधान है कि एक बार किसी कर्मचारी को आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो उसे अधिकार के रूप में सेवा में पुनः दोषमुक्त किया जाना चाहिए और उसे विभागीय रूप से दंडित नहीं किया जा सकता है, जब वह अपराध जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया गया था, दंड का एकमात्र आधार बनता है। यद्यपि, विनियमन 241 में यह भी हिदायत दी गई है कि यदि दोषमुक्ति का आदेश तकनीकी आधार पर आधारित है या यदि परीक्षण में स्थापित तथ्य यह दर्शाते हैं कि सरकारी सेवा में उसका बने रहना अवांछनीय है, तो पुलिस अधीक्षक, महानिरीक्षक की मंजूरी प्राप्त करने के बाद उसके आचरण का विभागीय संज्ञान ले सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10–छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन के विनियमन 241 में निहित प्रावधान **हरिनारायण रामरतन दुबे, खंडवा विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य**[1] के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने विनियमन 241 के दायरे के आधार पर विचार किया था जो कि निम्नानुसार हैः–

> ''इस प्रकार विनियमन उस अपराध के लिए विभागीय दंड को प्रतिबंधित करता है जिसके लिए एक अधिकारी को सक्षम न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। यद्यपि यह उस मामले में अपवाद बनाता है जहां दोषमुक्ति तकनीकी आधार पर आधारित थी, लेकिन अपवाद को इस शर्त के साथ बनाया गया है कि पुलिस महानिरीक्षक की मंजूरी के बिना कोई विभागीय जांच नहीं की जानी चाहिए। कंडिका में एक अन्य प्रावधान यह भी है कि जब किसी अधिकारी को दोषमुक्त कर दिया गया हो,

लेकिन परीक्षण में स्थापित तथ्य यह दर्शाते हैं कि सरकारी सेवा में उसका बने रहना अवांछनीय है, तो विभागीय कार्यवाही की जा सकती है लेकिन इस शर्त के साथ कि पुलिस महानिरीक्षक की मंजूरी पहले प्राप्त की जानी चाहिए।

11–इस न्यायालय ने **पोहारी शरण पांडे विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़) और पुलिस अधीक्षक** के मामले में भी छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन के विनियमन 241 के दायरे और परिधि पर विचार किया है जो निम्नानुसार हैः–

''14. इस मामले में आपराधिक मामले के साथ–साथ विभागीय जांच में आरोप एक ही थे। कथित जाली पुलिस रोजनामचा सान्हा मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तत्कालीन प्रभारी श्री ए.एच. खान से भी पूछताछ की गई और उनसे प्रतिपरीक्षण किया गया। मजिस्ट्रेट ने पाया कि गवाह श्री पी. आर. साव ने कथित जाली बिलों को असली माना था। तत्कालीन एसडीओ (पी) श्री जी.आर. श्रीवास्तव ने भी याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन किया और आपराधिक न्यायालय ने पाया कि अभियोजन, थाना प्रभारी श्री ए.एच. खान की ओर से याचिकाकर्ता के प्रति दुर्भावना के कारण दर्ज किया गया था। विभागीय जांच में श्री पी.आर. साव और श्री ए.एच. खान तत्कालीन एसडीओ (पी) से पूछताछ नहीं की गई, जिनके अधीन याचिकाकर्ता ने वास्तव में प्रासंगिक समय पर काम किया था, लेकिन अन्य एसडीओ (पी) श्री पी. एन. अवस्थी से पूछताछ की गई थी। इस प्रकार, यह पाया गया कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आपराधिक न्यायालय के समक्ष और साथ ही जांच प्राधिकरण के समक्ष पेश किए गए सबूत और दस्तावेज लगभग एक जैसे थे, सिवाय इसके कि कुछ नए गवाह जैसे श्री पी.एन. अवस्थी, एसडीओ (पी), जो प्रासंगिक समय पर एसडीओ (पी) नहीं थे, से विभागीय जांच में पूछताछ की गई थी। याचिकाकर्ता विनियमन के विनियमन 241 के अंतर्गत् लाभ का हकदार है, जो वैधानिक प्रकृति के हैं। विनियमन 241 स्पष्ट रूप से अनिवार्य करता है कि जब किसी पुलिस अधिकारी पर आपराधिक न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है और उसे दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो उसे, एक नियम के रूप में, दोषमुक्त किया जाना चाहिए। उसे विभागीय तौर पर दंडित नहीं किया जा सकता है, जब जिस अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाया गया, वह दंड का एकमात्र आधार है। तकनीकी आधार पर दोषमुक्ति के मामले में, पुलिस महानिरीक्षक की मंजूरी प्राप्त करने के बाद दुराचार का विभागीय संज्ञान लिया जा सकता है। वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से दोषमुक्ति थी और याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं था कि वह सेवा में अवांछनीय था।

15. परिणामस्वरूप, और ऊपर उल्लेखित कारणों से, समीक्षा आवेदन स्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ता बकाया वेतन को छोड़कर, किसी भी अन्य लाभ के बिना सेवा में दोषमुक्ति का हकदार है।

12-अब प्रश्न यह है कि क्या विभागीय कार्यवाही और आपराधिक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कार्यवाही दोनों में आरोप एक ही समान प्रकृति के थे?

13–याचिकाकर्ता पर दिनांक 26–04–1994 को संलग्न पी–2 के अंतर्गत् छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन के नियम 64(11) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। आरोप–पत्र के क्रियाशील भाग में निम्न बातें कही गई हैंः –

> मृतका द्वारा लिखे गए पत्रों एवं लक्ष्मीछाया द्वारा जगदलपुर से दिनांक 13–08–92 को आरोपी को, जब वह इंदौर में थी, लिखे गए पत्र से एवं जाँचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट से यह पाया जाता है कि आरोपी के घर, शादी के पूर्व, जब वह अकेला रहता था तो उसका बबली उर्फ लक्ष्मीछाया से प्यार था और इसी कारण आरोपी के घर, आना जाना भी था। शादी के बाद भी, आरोपी के घर, बबली उर्फ लक्ष्मीछाया का आना जाना बना रहा और उससे प्यार भी रहा तथा अवैध संबंध भी रहे। इसके अलावा आरोपी द्वारा, अपनी पत्नी मृतका सीमा साहू के चरित्र पर शंका की गई।
>
> इन सभी कारणों से उत्प्रेरित होकर एवं मानसिक रूप से आरोपी के द्वारा मृतका को प्रताड़ित करने के कारण उसके द्वारा आत्म–हत्या की गई, जिसके लिए आरोपी ही जवाबदार है।
>
> आरोपी के द्वारा पुलिस विभाग जैसे अनुशासित बल में रहते हुए शादी के पहले बबली उर्फ लक्ष्मीछाया से प्यार किया गया और मृतका श्रीमती सीमा साहू से शादी होने के पश्चात् भी, शादी–शुदा होते हुए भी, उस प्यार को कायम रखा गया, जिसके कारण बबली उर्फ लक्ष्मीछाया का, आरोपी के घर, शादी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के पहले और शादी के बाद भी आना-जाना बना रहा तथा शादी के पूर्व एवं बाद में उससे अवैध संबंध रहे। आरोपी के द्वारा अपनी पत्नी के चरित्र पर भी शंका की गई, जिससे मृतिका सीमा साहू द्वारा इन सभी कारणों से उत्प्रेरित होकर मानसिक प्रताड़ना के कारण आत्म-हत्या की गई।

अतः मैं डी.आर. कोरी, पुलिस अधीक्षक, रेडियो, भिलाई जोन, भिलाई, आरोपी निलंबित प्रधान आरक्षक, (रेडियो)-81,महेन्द्र कुमार साहू के विरूद्ध विभागीय जाँच करने हेतु निम्नांकित आरोप लगाता हूँः-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आरोपः

आरोपी ने उक्त कृत्य करके पुलिस रेगुलेशन के पैरा क्रमांक 64 सेवा की सामान्य शर्तो के फिकरा क्रमांक 11 के अंश,''सभी स्तरों के व्यक्तियों के साथ धैर्यता से, दयालुता से एवं सभ्यता से व्यवहार करेगा। निजी जीवन में वह शांतिपूर्ण व्यवहार का उदाहरण पेश करेगा एवं सभी प्रकार की पक्षपात को टालेगा।'' का उल्लंघन किया और उसके द्वारा कथित कदाचरण कृत्य से पुलिस विभाग की छवि धूमिल किया जाकर, अपने आप को पुलिस विभाग के अनुपयुक्त बनाया है।

14-आरोप-पत्र के उपरोक्त भाग का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि मूलतः याचिकाकर्ता पर आरोप यह है कि बबली उर्फ लक्ष्मीछाया के साथ अवैध संबंध के कारण उसकी विधिक रूप से विवाहित पत्नी श्रीमती सीमा साहू ने आत्महत्या किया तथा यह भी आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को प्रताड़ित भी किया

जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। यद्यपि याचिकाकर्ता पर पुलिस विनियमावली के विनियम 64(11) के अंतर्गत आरोप लगाया गया था, लेकिन मुख्य आधार यह था कि उसने अपनी पत्नी श्रीमती सीमा साहू को आत्महत्या के लिए उकसाया था। पुलिस विनियमावली के विनियम 64(11) में निम्नांकित उल्लेख हैः–

> ‘‘64. सेवा की सामान्य शर्ते– पुलिस में नियुक्ति के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को नियुक्ति से पूर्व पुलिस सेवा की सामान्य शर्तों से परिचित कराया जाना चाहिए, जो कि इस प्रकार हैंः–
>
> > (11) वह सरकार के सभी अधिकारियों के प्रति सम्मान और आदर के साथ तथा सहनशीलता, दयालुता के साथ कार्य करेगा और सभी वर्गों के आम नागरिकों के प्रति शिष्टाचार का पालन करेगा। निजी जीवन में वह शांतिपूर्ण व्यवहार का उदाहरण पेश करेगा और सभी पक्षपात से दूर रहेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15–पुलिस विनियमन का विनियमन 64, सामान्य सेवा शर्त है तथा उप–विनियम (11) में प्रावधान है कि निजी जीवन में प्रत्येक पुलिस अधिकारी शांतिपूर्ण व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करेगा तथा सभी प्रकार के पक्षपात से दूर रहेगा, अर्थात उसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना होगा तथा वह किसी भी प्रकार का हिंसक व्यवहार नहीं करेगा। इस प्रकार, चूंकि याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 एवं 498क के अंतर्गत् आरोप विरचित किया गया था तथा उस पर अभियोग भी चलाया

गया था, इसलिए उसके विरुद्ध पुलिस विनियमन के विनियमन 64(11) के अंतर्गत् आरोप विरचित किया गया। अब आपराधिक मामले में भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप यह है कि उसने अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया तथा अपनी पत्नी के चरित्र पर भी संदेह किया, इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अंतर्गत् दंडनीय है। पुलिस अधीक्षक, रेडियो, भिलाई जोन, भिलाई द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप इस प्रकार हैं: –

> आरोपी ने उक्त कृत्य करके पुलिस रेगुलेशन के पैरा क्रमांक 64.सेवा की सामान्य शर्तों के फिकरा क्रमांक–11 के अंश, ''सभी स्तरों के व्यक्तियों के साथ धैर्यता से, दयालुता से एवं सभ्यता से व्यवहार करेगा। निजी जीवन में वह शांतिपूर्ण व्यवहार का उदाहरण पेश करेगा एवं सभी प्रकार की पक्षपात को टालेगा।'' का उल्लंघन किया और उसके द्वारा कथित कदाचरण कृत्य से पुलिस विभाग की छबि धूमिल किया जाकर, अपने आप को पुलिस विभाग के अनुपयुक्त बनाया है।

16–अब याचिकाकर्ता को सबसे पहले दिनांक 28–2–1995 को विभागीय तौर पर पदच्युत कर दिया गया और दिनांक 01–06–1995 को उसकी अपील खारिज कर दी गई और दया याचिका दायर की गई जिसे आपराधिक मामले में विचारण न्यायालय के निर्णय के पश्चात् दया याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया जिसमें अंततः उसे दिनांक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

28–05–1997 को दोषमुक्त कर दिया गया, उसके बाद उसने दिनांक 09–06–1997 को दया याचिका दायर की जिसे दिनांक 06–09–1997 को खारिज कर दिया गया। आपराधिक मामले में विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 28–05–1997 का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने से ज्ञात होता है कि अभियोजन पक्ष याचिकाकर्ता के विरूद्ध क्रूरता का आरोप साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। पैराग्राफ 11 में, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया है कि अभियोजन पक्ष आरोपित अपराधों को साबित करने में विफल रहा है और तदनुसार याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि इस न्यायालय ने दिनांक 15–01–2014 को आपराधिक अपील क्रमांक–2096/1997 में की है। इस प्रकार, आपराधिक आरोपों पर याचिकाकर्ता की स्पष्ट दोषमुक्ति पहले ही प्राप्त हो गई थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17–इस प्रकार, उपरोक्त विश्लेषण से यह पूरी तरह स्थापित है कि विभागीय कार्यवाही में आरोप इस आरोप पर आधारित थे कि याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया और उसके साथ क्रूरता से पेश आया जो भा.द.सं. की धारा 306 और 498क के अंतर्गत् दंडनीय है और यद्यपि यह कहा जाता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाए रखा और उसने अपनी पत्नी के साथ हिंसक व्यवहार किया, इसलिए उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई और जिसमें उसे विभागीय रूप से दंडित भी किया गया, लेकिन जब मामले को दिनांक 12–02–2015 के आदेश द्वारा पुनः विचार हेतु वापस भेजा गया तो दोनों अधिकारियों ने पुलिस विनियम के विनियम 241 का लाभ देने से

इस आधार पर इंकार कर दिया कि दोनों कार्यवाहियों अर्थात् आपराधिक और विभागीय में आरोप एक समान नहीं हैं तथा दोनों आरोप भिन्न हैं, जबकि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यद्यपि विभागीय कार्यवाही पुलिस विनियम के विनियम 64(11) पर आधारित है, लेकिन विनियम 64(11) को लागू करने का आधार आपराधिक आचरण है, अर्थात् भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 498क के अंतर्गत दंडनीय अपराध, जिसके लिए उसे आपराधिक न्यायालय द्वारा दिनांक 28-05-1997 को दोषमुक्त कर दिया गया था और उसके दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध प्रस्तुत आपराधिक अपील को इस न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के निर्णय की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि पुलिस विनियमन के विनियमन 241 को सीधे तौर पर आकर्षित किया जाता है, क्योंकि उस पर भा.द.सं. की धारा 306 और 498क के अंतर्गत् अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया है और उसे दांडिक न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है और इस न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील में उसकी दोषमुक्ति की पुष्टि भी की गई है। इस प्रकार, अधिकार के रूप में, विनियमन 241 के अनुसार वह दोषमुक्त होने का हकदार है क्योंकि उसे उस अपराध के लिए विभागीय रूप से दंडित नहीं किया जा सकता है जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया गया है और उसे स्पष्ट रूप से दोषमुक्त किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18-ऊपर किए गए निष्कर्ष को आधार मानते हुए, आपराधिक मामले और विभागीय कार्यवाही में आरोप मूलतः एक ही हैं। इसलिए, विद्वान राज्य अधिवक्ता श्री भगत का तर्क कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध

विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मामले के आधार पर लगाए गए आरोप अलग–अलग हैं, को अस्वीकार किया जाता है।

19–यद्यपि, राज्य/उत्तरवादीगण का यह मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता को तकनीकी आधार पर दोषमुक्त किया गया था तथा अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी का भी यह मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता को सरकारी सेवा में बनाए रखना अवांछनीय है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक द्वारा आपत्तिजनक आदेश पारित करते समय महानिरीक्षक की कोई पूर्व मंजूरी नहीं ली गई है।

20–तदनुसार, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–04–2015 तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–12–2015 दोनों को निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने वाले अनुशासनिक प्राधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–04–1995 को भी निरस्त किया जाता है। याचिकाकर्ता पिछले वेतन को छोड़कर सभी परिणामी सेवा लाभों के साथ दोषमुक्त होने का हकदार है। किंतु, पिछले वेतन के मुद्दे पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मूल नियमों के नियम 54 के अनुसार विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ता यह आधार लेने का अधिकारी है कि वह पिछले वेतन का पूर्ण हकदार है।

21–रिट याचिका को ऊपर उल्लेखित सीमा तक स्वीकार किया जाता है। शुल्क के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

# छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (एस) क्रमांक–83/2016

महेंद्र कुमार साहू

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

## शीर्ष टिप्पणी

एक पुलिस आरक्षक, पूरी तरह दोषमुक्त होने पर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के विनियम 241 के उपबंधों के अनुसार पुनः पदस्थ किये जाने का हकदार होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur